"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 812 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 7, शक 1941

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 7, 1941)

क्रमांक-12618/वि. स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2019)

# छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019

**छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 41 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 41 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) सदस्य तथा सभापति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा एक अन्य कार्यकाल के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हो सकेंगे :

परन्तु यह कि सभापति, अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या आगामी छ: माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे."

## उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007), सभापति की नियुक्ति एवं इनके कार्यकाल हेतु प्रावधान करती है किन्तु सभापति के कार्यकाल की निरंतरता के लिये उपबंध नहीं करती है, सभापति के पद पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में, अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, यह वांछनीय होगा कि छ: माह की एक सीमित कालावधि के लिए सभापति के कार्यकाल को नियमित रखने हेतु उपबंध किया जाये, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार के लिए सभापति के चयन एवं नियुक्ति हेतु राज्य शासन समर्थ हो सके.

अतएव, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) में समुचित संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है, तद्नुसार प्रस्तावित है.

रायपुर,

दिनांक 25 नवम्बर, 2019

ताम्रध्वज साहू
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

# उपाबंध

## छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 41 का सुसंगत उद्धरण

41. (1) सदस्य तथा सभापति को कार्यकाल दो वर्ष का होगा, तथा एक अन्य कार्यकाल के लिए प्रतिनियुक्ति का पात्र होगा.

(2) वह अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व किसी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा.

(3) सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते तथा सेवा की अन्य निर्बन्धन एवं शर्तें ऐसी होगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.